न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—182/2018/223 (2018/00182)

1. नारायणसिंह पुत्र उजीरासिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम मोयणा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मीरा पत्नी किशना, जाति रावत, नि0 ग्राम मोयणा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. गाजी पुत्र कम्मा, जाति रावत, निवासी ग्राम मोयणा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 1.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 85/2013.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—30.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 419 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोयणा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके रेस्पो0 संख्या 1/वादिया का 1/3 व रेस्पो0 संख्या 2 का 2/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात का आदिनांक तक विधिक विभाजन नहीं हो रखा है। अतः उक्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे एवं वाद दायरी के बाद किसी भूभाग पर निर्माण किया जाता है तो उसे ध्वस्त कर पूर्व स्थिति लाने का आदेश पारित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 1.6.2018 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को 2/3 हिस्से का तथा अपीलांट को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का

रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट को आदेशिका दिनांक 19.10.2016 के अनुसार पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे एवं उसके पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब हेतु अधी0न्याया0 में विचाराधीन रही जिसमें दिनांक 1.6.2018 को लोक अदालत के समक्ष पत्रावली को रखा जाकर एक मात्र रेस्पो0 संख्या 1 की उपस्थिति में वाद को एकपक्षीय रूप से बिना जवाब का अवसर प्रदान किये तथा बिना साक्ष्य लिये दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 1.6.2018 को पारित कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 419 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा के 1/3 हिस्से के विभाजन हेतु अनुतोष चाहा है एवं रेस्पो0 संख्या 2 का 2/3 हिस्सा निहित होना वर्णित किया है जिस पर रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उसके द्वारा 2/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से बाबत् बेनामा अपीलांट के पक्ष में किया जाकर स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 की उपस्थिति में उक्त आराजी में सड़क के किनारे वाले हिस्से का विभाजन कर सुपुर्द किया जाना एवं सड़क के किनारे वाले 1/3 हिस्से पर अपीलांट का कब्जा होना वर्णित किया है । अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.8.2013 में स्पष्ट सीमाओं का अंकन किया हुआ है जिसके अनुसार अपीलांट वापदग्रस्त आराजी पर काबिज है । उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी का बेचान अपीलांट के पक्ष में किया गया है जिसे बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपित निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने तथ्य छिपाकर एकतरफा डिक्री पारित करवाई है । अधी0न्याया0 ने भी विधिक प्रक्रिया अपनाये एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक ड्रिकी दिनांक 1.6.2018 निरस्त की जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । दिनांक 19.2.2014 को रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर अपीलांट को वादग्रस्त आराजियात का 1/3 हिस्सा बैचान कर मौके पर पूर्व से हो रहे विभाजन के अनुसार कब्जा सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 19.10.2016 से अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये तथा इसके उपरांत पत्रावली वास्ते जवाब हेतु विचाराधीन रही किन्तु अधी0न्याया0 ने पत्रावली वास्ते जवाब जैरकार रहते पत्रावली का दिनांक 1.6.2018 को लोक अदालत में रखकर रेस्पो0 संख्या 1/वादी की एकतरफा बहस सुनकर वाद को दिनांक 1.6.2018 को डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है जहां पक्षकारान

के हित निहित हो वहां पक्षकार को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 1.6.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 1.6.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर